अनुक्रमणिका

अ

अवलोकन

साक्ष्य का 2222

अवधारणा

अंग्रेजी विधि में दहेज की..... 2009

कुशल एवं कर्मठ न्यायाधीश की.....1686

अवयस्क

का अपराध 1869

अवस्कता

और सजा 1168

असंगति

चक्षुदर्शी एवं चिकित्सीय साक्ष्य के बीच.....1404

असावधानी

चिकित्सक की 1840

अग्न्यायुध

को न भेजने का प्रभाव 1742

अचानक प्रकोपन

हत्या अथवा मानववध करने का 2143

पति द्वारा पत्नी को किसी नवयुवक के साथ नशे की हालत में नग्न देखा गया.....1817

अंशदायी उपेक्षा

का सिद्धान्त.....1932

अंग्रेजी विधि

में दहेज की अवधारणा..... 2009

अंतिम बार

एक साथ देखे जाने का साक्ष्य 1816

देखे जाने का साक्ष्य 1403

अजन्मे संतान

की मृत्यु कारित करना 2160

अग्रिम जमानत

की मंजूरी 2185

अधिकार

व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का..... 1525

प्राइवेट प्रतिरक्षा का 2206

प्रतिरक्षा का.....1854

स्त्री की अपनी सम्पत्ति के.....1983

अधिनियम सं0 43 सन् 1986

के उद्देश्य का विवरण और कारण.....1952

अभिरक्षा

में होने संबंधी मृत्यु का सबूत..... 1883

अभिवचन

हत्या एवम् आत्मरक्षा का 1372

हत्या के मामले में अन्यत्र होने का 1372

हत्या के मामले में पागलपन का 1364

पागलपन का.....2135

अभिवाक्

आत्मरक्षा का 2175

प्रतिरक्षा का.....2141

अभिसंज्ञान

अपराध का..... 1546

अभिखण्डन

प्रथम सूचना रिपोर्ट का 2199

प्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट का 2070

अभिमुक्ति

व्यक्तिगत उपस्थिति से 2200

अभियोजन

हेतु मंजूरी 2185

अभियुक्त

द्वारा अपने पिता के व्यवहार से तंग आकर अपनी बहन और माता के साथ आत्महत्या करने का विनिश्चय 1896

को सन्देह कालाभ 2084,2180, 2198,2218

को समन पर्याप्त 2220

की उपस्थिति 1140

अर्थदण्ड

में वृद्धि-प्रतिकर स्वरूप प्रदान किया जाना 2187

अदा करना

जुर्माने की राशि बतौर प्रतिकर आहत को 2199

अन्वेषण

एवं प्रथम इत्तिला रिपोर्ट 1277

अन्वेषक अधिकारी

को दिए गए कथन और न्यायालय के समक्ष दिए गए कथन में फर्क 1814

का अपरीक्षण 2220

अनुज्ञा

समझौते की 2098

अनुमान

आशय का 1288

अपराध-निर्णय का 1950

अनुमान किया जाना

हत्या के मामले में प्रतिकूल 1383

अन्तर

'मिताक्षरा स्त्रीधन' और दायभाग स्त्रीधन में 1977

आपराधिक मानववध तथा हत्या में 1093

दो अपराधों के बीच 2073

अन्तर्निहित शक्तियाँ

न्यायालय की 2174,2214

अन्यत्र

होने का अभिवचन 1372

अपराध

अवयस्क का 1869

का अभिसंज्ञान 1546

सह-अभियुक्त के प्रबोधन पर मृतक पर 1817

साबित होना 2185

सामान आशय 1816

से संबंधित बरामद वस्तुओं के बरामदगी ज्ञापन पर अभियुक्त का अंगुष्ठ छाप या हस्ताक्षर न लिया जाना 1816

हत्या का है या आपराधिक मानव वध का यह कृत्य गम्भीरता पर निर्भर करती है 1836

हत्या—प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हेतु का उल्लेख न होना 1464

निर्धारण में चोट की प्रकृति आवश्यक 2196

दंड—विचारण न्यायालय द्वारा केवल कारागार का दंड अधिरोपित करना 1814

अपराध—क्रमशः
दांडिक विचारण हेतु उपेक्षा.....2188
में भागीदारी संदेहास्पद..... 2221
अपराध-निर्णय
का अनुमान.....1950
अपराध निर्धारण
में चोट की प्रकृति आवश्यक..2178,2218
अपराधियों
के लिए पुनर्वास.....1685
अपरीक्षण
अन्वेषण अधिकारी का.....2220
अपील
की पोषणीयता.....1882
हत्या के मामले में दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध.....1368
दोषसिद्धि के विरुद्ध.....1373,2138
अभाव
साक्ष्य का.....2220
प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का.....1491
चिकित्सीय साक्ष्य की संपुष्टि का.....2184

आ

आशय
शारीरिक क्षति कारित करने के.....1117
का अनुमान.....1288
के अभाव में हत्या नहीं : आपराधिक मानव वध.....1826
से किया गया कार्य.....2160
गर्भपात कारित किए जाने का.....2159
हत्या एवं सामान्य.....1469
मृत्यु कारित करने का.....1103
का विरचित्र किया जाना.....1546
आशय के साथ
हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव-वध.....1061
आशय नहीं
मृत्यु कारित करने का.....1889,2187
आरोप
को संदिग्ध बना देती है.....2094
की विरचना करने के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण.....2074
के अभाव में धारा 35 के अधीन दोषसिद्धि का न्यायोचित्य.....1385
आरोप
का प्ररूप-धारा 302 के अन्तर्गत.....1818
का प्ररूप-धारा 303 के अन्तर्गत.....1824
का प्ररूप-धारा 304 के अन्तर्गत.....1906
का प्ररूप-धारा 304क के अन्तर्गत.....1941
का प्ररूप-धारा 304ख के अन्तर्गत.....2043
का प्ररूप-धारा 305 के अन्तर्गत.... 2044
का प्ररूप-धारा 306 के अन्तर्गत.....2074
का प्ररूप-धारा 307 के अन्तर्गत..... 2149
का प्ररूप-धारा 308 के अन्तर्गत.....2153
का प्ररूप-धारा 309 के अन्तर्गत..... 2155
का प्ररूप-धारा 311 के अन्तर्गत..... 2155
का प्ररूप-धारा 312 के अन्तर्गत..... 2156
का प्ररूप-धारा 313 के अन्तर्गत..... 2158
का प्ररूप-धारा 314 के अन्तर्गत.....2159
का प्ररूप-धारा 315 के अन्तर्गत.....2161
का प्ररूप-धारा 316 के अन्तर्गत..... 2162
का प्ररूप-धारा 317 के अन्तर्गत.....2163
का प्ररूप-धारा 318 के अन्तर्गत..... 2164
का प्ररूप-धारा 323 के अन्तर्गत..... 2190

आरोप—क्रमशः:

का प्ररूप-धारा 324 के अन्तर्गत 2207

का प्ररूप-धारा 325 के अन्तर्गत 2224

आवश्यक

'दहेज-मृत्यु' सिद्ध करने के लिए निकटस्थ साक्ष्य 2064

अपराध निर्धारण में चोट की प्रकृति 2178

हत्या के प्रयास में चोट मार्मिक अंग पर होना 2090

हत्या के लिए आशय का.....1496

दोषसिद्धि के लिए विधिक साक्ष्य.....1858

दोषसिद्धि के लिए दुराशय 2211

आवश्यक तत्व

आपराधिक मानववध के 1091

आवेश

में किया गया आपराधिक कार्य आशय का निषेध करता है.....1846

आसन्न

संकटपूर्ण खतरा..... 1126

आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

के साक्ष्य की ग्राह्यता 1386

आचरण

और परिस्थितिजन साक्ष्य..... 1185

आजीवन कारावास

का दण्डादेश नहीं हो सकता जब तक वह वस्तुतः ऐसा दण्डादेश भोग न रहा हो 1823

से दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कारित हत्या के अपराध के लिए मृत्यु दण्ड..... 1819

आजीवन सिद्धदोष

द्वारा हत्या के लिए दण्ड.....1818

आधार

सीमागत आपराधिक कार्य कारित करने की मनः स्थिति—दण्ड का 1865

आपराधिक

मानव वध 1057

मानव वध तथा हत्या के बीच विभेद 1060

आपराधिक कार्य

आशय का निषेध करता है..... 1846

आपराधिक मानव वध

आत्महत्या के लिए परिस्थितियाँ पैदा करना तथा आत्महत्या का 2004

आशय के अभाव में हत्या नहीं 1826

करने का प्रयत्न..... 2150

का यह कृत्य गम्भीरता पर निर्भर करती है.....1836

की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना 2161

के लिए दण्ड 1824

तथा हत्या में अन्तर 1093

की विशिष्टताओं पर आधारित कतिपय दृष्टान्त..... 1098

कब हत्या है 1102

कब हत्या नहीं है 1225

के आवश्यक तत्व 1091

तथा हत्या में अन्तर 1093

मृतक पर प्राणघातक हमले से पूर्व दिन में अभियुक्त और मृतक के बीच कहा-सुनी.....1752

आपराधिक मामले
में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति.....1671

आत्मरक्षा
का अभिवचन 1372,2175
के अधिकार के प्रयोग में मृत्युकारित की जा सकती है 1567

आत्म हत्या
बालिका द्वारा.....2044
करने का प्रयत्न 2153
का हो जाना आपराधिक मानव वध होगा.....2004
का किया जाना 2071
का दुष्प्रेरण 2044,2045
कारित करने का सबूत.....2154
के लिए दुष्प्रेरण 2053
के लिए परिस्थितियाँ पैदा करना तथा आत्महत्या का हो जाना आपराधिक मानव वध होगा.....2004
के लिए पर्याप्त आधार 2052
के दुष्प्रेरण—का सबूत 2074
समझौता—अभियुक्त द्वारा अपने पिता के व्यवहार से तंग आकर अपनी बहन और माता के साथ 1896
हत्या कब.....1688

आयुधों
की बरामदगी का महत्व.....1385

आयुधों या साधनों
द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना.....2190

इ

इत्तिलाकर्ता
द्वारा रिपोर्ट में अभियुक्त की विनिर्दिष्ट भूमिका न 1464

इन्जरी रिपोर्ट
में भिन्नता आरोप को संदिग्ध बना देती है 2094

उ

उल्लंघन
मृत्युदण्ड में संविधान का 1689

उल्लेख न होना
प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हेतु का 1464

उद्देश्य एवं लघुकरण
दण्ड का.....1590

उच्च न्यायालय
की पुनरीक्षण शक्ति.....1671

उचित दंडादेश
का निर्धारण करने के लिए नियम 2221

उन्मोचन
समानता के सिद्धांत पर 2071

उपस्थिति
अभियुक्त की 1140

उपहार नहीं
दहेज सम्पदा पति कौ 2003

उपहति
कारित करने के अपराध का सबूत 2204
के मामले में दंडादेश..... 2185
सदोष परिरोध एवम् साधारण..... 2186

उपधारणा

उपेक्षा के मामले में सबूत के भार पर 1924

दहेज से मृत्यु के सम्बन्ध में.....1947

उपेक्षा

अपराध—दांडिक विचारण हेतु 2188

का सिद्धान्त.....1932

के मामले में सबूत के भार पर उपधारणा 1924

द्वारा मृत्यु कारित करना 1907

उपेक्षापूर्ण कृत्य

आपराधिक मानव वध.....1914

कब? दण्ड का स्वरूप.....1839

उपयोगिता

परिस्थितिजन्य साक्ष्य का.....1148

ऐ

ऐच्छिक उपहति

कारित किया जाना 2187

ऐसे कार्य

द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना..... 2161

क

कुशल एवं कर्मठ न्यायाधीश

की अवधारणा.....1686

करने योग्य

स्त्रीधन की प्राप्ति के लिए वाद दायर करना क्या प्रतिपादन 1979

कई दिन बाद

मृत्यु हत्या नहीं मानव वध है.....1858

कहा-सुनी

मृतक पर प्राणघातक हमले से पूर्व दिन में अभियुक्त और मृतक के बीच.....1752

कारागार

का दंड अधिरोपित करना.....1814

कारण

श्वासावरोध—मृत्यु का.....1275

कारण

दहेज-मृत्यु का.....1968

कारित करना

उपेक्षा द्वारा मृत्यु का 1907

स्वेच्छया उपहति 2166

स्वेच्छया घोर उपहति..... 2167

खतरनाक आयुध द्वारा स्वेच्छया उपहति 2206

खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति..... 2190

गर्भपात का..... 2156

हत्या—विष देकर मृत्यु 1375

घातक हथियारों द्वारा स्वेच्छा से उपहति 2166

स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात का 2157

कोटि

में न आने वाला आपराधिक मानव-वध किन्तु आशय के साथ.....1061

कार्य

में प्रयुक्त किए गये हथियार.....1244

कार्यवाही

न्यायालय मृत्युकालीन कथन पर.....1292

कठोर दण्ड

दहेज-मृत्यु के दुष्प्रेरक को 1960

क्रूरता के लिए.....1507

कठोरतम शास्ति

योजनाबद्ध हत्या के लिए 1523

कथन

की विश्वसनीयता.....1884

कथनों

के मध्य भिन्नता.....2039

कब अपराध

मत्तता में किए गए कार्य का 1666

कम किया जाना

दण्डादेश का 1735

कमी

दंडादेश में.....2152

किया गया कार्य

शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से.....2160

किया जाना

शिनाख्त परेड—साक्ष्य.....1322

बलात्संग के कारण आत्महत्या का.....2071

क्रूरता

एवं दहेज मृत्यु 2035

के लिए कठोरतम दण्ड 1507

कैंसर

दहेज-हत्या—समाज के लिए.....1948

ख

खतरा

आसन्न संकटपूर्ण.....1126

खतरनाक आयुध

द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना 2206

खतरनाक आयुधों

से लैस विधि विरुद्ध जमाव 1691

या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना..... 2190

खाली कारतूस

की बरामदगी हत्या के अपराध के लिए पर्याप्त साक्ष्य नही है 1693

ग

गला दबाने

से मृत्यु व मेडकिल जुरिसप्रूडेन्स.....1135

ग्राह्यता

संस्वीकृति की 1484

हत्या के मामले में आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य की 1386

हत्या के मामले में प्रतिरक्षा अभिवाक् की..... 1377

गंभीर उपहति

कारित करना 2184

गंभीर संदेह

मजिस्ट्रेट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब से भेजना अभियोजन पक्षकथन पर.....1756

गंभीर क्षति

मृत्यु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समुचित रूप से साबित न की जानी प्रभाव.....1890

गोपनीय ढंग

से निपटारा करके जन्म का छिपाया—दण्डादेश 2164

गौण मतभेद
का प्रभाव....1383
गायब करना
हत्या एवम् शव को....1375
साक्ष्य का....1321
गृह अतिचार
एवं हमला का सबूत....2142
गर्भपात
कारित करना....2156
कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु....2158
कारित किए जाने का आशय....2159
गम्भीर अपराध
एवं मृत्यु दण्ड....1271
हेतु मृत्यु दण्ड....1869
गम्भीरता आवश्यक
हत्या के प्रयास के लिए चोटों की....2080,2095

घ

घातक हथियारों
द्वारा स्वेच्छा से उपहति कारित करना....2166
घटना
के 12 घंटे के भीतर मृत्यु हो जाना....1816
के कई दिन बाद मृत्यु हत्या नहीं मानव वध है....1858
घटना स्थल
का सबूत....1374
घोर उपहति
तथा साधारण उपहति के मामले....1259
घायल साक्षी
का साक्ष्य....2138
घायलदृष्टा साक्षी
का साक्ष्य....2206

च

चक्षुदर्शी
एवं चिकित्सीय साक्ष्य के बीच असंगति....1404
चक्षुदर्शी साक्ष्य
तथा चिकित्सीय साक्ष्य के बीच गौण मतभेद का प्रभाव....1383
चिकित्सक
की असावधानी....1840
चिकित्सीय साक्ष्य
का संदिग्ध होना हत्या का निषेध करता है....1868
की संपुष्टि का अभाव....2184
के बीच असंगति....1404
में मामूली फर्क प्रभाव....1892
चोट
की प्रकृति आवश्यक....2178,2196
के कारण घटना के कई दिन बाद मृत्यु हत्या नहीं मानव वध है....1858
मार्मिक अंग पर होना आवश्यक....2090
चोटों
की गम्भीरता आवश्यक....2095
चुनौती
दोषसिद्धि को....2223

छ

छिपाना
मृतक के शव का....2164

छुरी

घोंप कर हत्या करना—धारा 300 के अपवाद 4 का फायदा 1464

ज

जलने

के कारण क्षति 1261

से मृत्यु व मेडिकल जुरिप्रूडेन्स 1139

जान से मारने

का प्रयाश.....1294

जुमनि

की राशि बतौर प्रतिकर आहत को अदा करना 2199

जन्म छिपाना

मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा 2163

जमाव

खतरनाक आयुधों से लैस विधि विरुद्ध 1691

हत्या एवं विधि विरुद्ध 1311

जमानत

की मंजूरी.....2070,2135,2159,2185

का दुरुपयोग नहीं 2222

त

तीव्रता

प्रहार एवं क्षति की 1572

प्रहार की 1861

त्यक्त नहीं

असंगतताओं और विरोधों के आधार पर उनके परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय मानकर.....1760

द

दलील

हत्या मृतक के पुत्रों का साक्ष्य नातेदार पक्षपाती, हितबद्ध और संयोगी साक्षी होने की 1464

मृतक की क्षतियां शरीर के गैर-मर्म भाग पर पाया जाना—शल्य क्रिया के कारण मृत्यु होने की 1751

दहेज

'ग्रीक विधि में' 2011

वधू की सम्पदा है.....1984

का प्रभाव 1960

की अवधारणा 2009

की बुराईयाँ.....2005

से मृत्यु के सम्बन्ध में उपधारणा 1947

सम्पदा पति कौ उपहार नहीं है 2003

परम्परागत उपहार बाधित नहीं है.....1984

दहेज 'स्त्रीधन'

और विवाहित महिला की सम्पदा 1978

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961

की धारा - 2—दहेज की परिभाषा.....1979

के उद्देश्य का विवरण एवं कारण 1950

दहेज-हत्या

समाज के लिए कैंसर 1948

दहेज मृत्यु

का सबूत 1403

क्रूरता एवं.....2035

दहेज मृत्यु—क्रमशः:

मृतक द्वारा दो मृत्युकालिक कथन—दोनों कथनों के मध्य भिन्नता.....2039

का कारण.....1968

कब दुष्प्रेरणा?.....1953

सिद्ध करने के लिए निकटस्थ साक्ष्य आवश्यक.....2064

के दुष्प्रेरक को कठोर दण्ड.....1960

दण्ड

आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए.....1818

और परिवीक्षा.....1851

का लघुकरण कब.....1840,2098, 2175,2214

का लघुकरण.....1934

का अवधारण करने के लिए सूत्र.....1746

का आधार.....1865

का उद्देश्य एवं लघुकरण.....1590

का स्वरूप.....1839

स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए.....2168

हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए.....1824

हत्या के लिए.....1466

का लघुकरण कब?.....2195

दंडादेश

उपहति के मामले में.....2185

हत्या का प्रयत्न.....2142

में कमी.....2152

में परिवर्तन.....2033

का कम किया जाना.....1735

की पर्याप्तता.....2136

दंडादेश—क्रमशः:

द्वितीय हत्या के समय आजीवन कारावास का.....1823

दाण्डिक कार्यवाही

में प्राङन्याय.....1689

दाखिल किया जाना

हत्या के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट का मृत्यु समीक्षा किये जाने के पश्चात्.....1746

दायित्व

का सिद्धान्त.....1217

दो अपराधों

के बीच अन्तर.....2073

दोषसिद्धि प्रभाव

परिसाक्ष्य का.....1186

दोषसिद्धि

का न्यायोचित्य.....1373

को चुनौती.....2223

के लिए साक्ष्यों की परिसम्पुष्टि आवश्यक.....1954

के लिए साक्ष्यों में संगति आवश्यक.....2169,2192,2209

के लिए विधिक साक्ष्य आवश्यक.....1858

के लिए दुराशय आवश्यक.....2106, 2172,2211

के विरुद्ध अपील.....1373

दोषी होना

व्यक्तिगत कृत्यों के लिए.....1884

दोषमुक्ति

का प्रभाव.....1386

का न्यायोचित्य.....1367

के आदेश के विरुद्ध अपील.....1368

की पोषणीयता.....1882

दोषमुक्ति—क्रमशः
हमला एवं आगजनी.....2141
का प्रभाव.....1860
दुराशय आवश्यक
दोषसिद्धि के लिए.....2172
दुष्प्रेरक
को कठोर दण्ड.....1960
आत्महत्या का.....2045
आत्महत्या के लिए.....2053
शिशु या उन्मक्त शक्ति की आत्महत्या का.....2044
दहेज-मृत्यु कब.....1953
दुरुपयोग
जमानत का.....2222
दण्ड विधान
में मृत्यु दण्ड की समीक्षा.....1532
दृष्टान्त
आपराधिक मानववध की विशिष्टताओं पर आधारित.....1098
देखरेख
रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का.....2162
दम घुटने
से मृत्यु.....1273
द्वितीय हत्या
के समय आजीवन कारावास का दण्डादेश नहीं हो सकता जब तक वह वस्तुतः ऐसा दण्डादेश भोग न रहा हो.....1823

ध

धारा 299
का स्पष्टीकरण (1) (2) तथा (3).....1092
धारा 300
के अपवाद 4 का लागू होना.....1363
धारा 303
की संवैधानिक स्थिति.....1818

न

न बताई जानी
साक्षी सह-अभियुक्तों की कोई प्रत्यक्ष भूमिका.....1814
नग्न देखा जाना
पति द्वारा पत्नी को किसी नवयुवक के साथ नशे की हालत में.....1817
नातेदार साक्षियों
के साक्ष्य की विश्वसनीयता.....1375
निशानदेही
एवं बरामदगी परिणाम.....1631
निषेध
आवेश में किया गया आपराधिक कार्य आशय का.....1846
विष देने के मामले में चिकित्सीय साक्ष्य का संदिग्ध होना हत्या का.....1868
निर्भर
अपराध हत्या का है या आपराधिक मानव वध का यह कृत्य गम्भीरता पर.....1836
नियम
उचित दंडादेश का निर्धारण करने के लिए.....2221
न्यायालय
की अन्तर्निहित शक्तियाँ.....2174
मृत्युकालीन कथन पर कार्यवाही कर सकता है.....1292

न्यायाधीश

की अवधारणा.....1686

न्यायोचित्य

आरोप के अभाव में धारा 35 के अधीन दोषसिद्धि का.....1385

हत्या के मामले में सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति का.....1367

हत्या के मामले में दोषसिद्धि का.....1373

प

पक्षकथन

पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है.....1756

पागलपन

का अभिवचन 1364

का अभिवचन 2135

पारिस्थितिक साक्ष्य

का सबूत.....1384

का मूल्यांकन.....1365

पोषणीयता

दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील की.....1882

परिवीक्षा

का लाभ कब? 2193

का लाभ दिया जाना 2222

परिवर्तन

दंडादेश में.....2033

मृत्यु के पश्चात् मृत शरीर में.....1284

परिस्थितिजन साक्ष्य

हत्या का सबूत((1758

अभिप्राय तथा उपयोगिता.....1148

कब सुसंगत 1546

परिस्थितियाँ

जिसमें अभियुक्त को सन्देह का लाभ.....2084,2180,2198,2218

परिसाक्ष्य

का दोषसिद्धि प्रभाव 1186

को अविश्वसनीय मानकर त्यक्त नहीं किया जा सकता 1760

परिसम्पुष्टि

दोषसिद्धि के लिए साक्ष्यों की 1954

परिभाषा

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा - 2-दहेज की 1979

परित्याग

शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का..... 2162

पति

द्वारा पत्नी को जलाकर उसकी हत्या की गई.....1817

पुत्री एवम् भतीजी

के साक्ष्य की विश्वसनीयता..... 1377

पुलिस कथन

एवं मृत्युकालीन कथन पर विचार किया जाना.....2073

पुनरीक्षण

आरोप की विरचना करने के आदेश के विरुद्ध 2074

पुनर्वास

अपराधियों के लिए 1685

पुनर्विचारण

के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया जाना..... 1384

पूरा किया जाना
हत्या के लिए दो शर्तों का 1383
पत्नी
की हत्या का प्रयत्न 1465
के चरित्र पर सन्देह.....1519
पर्याप्त
प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए 1119
पर्याप्त आधार
मात्र मृतिका को चोट आत्महत्या के लिए..... 2052
मृत्यु की सम्भावना हत्या के प्रयास के लिए 2077
पर्याप्त साक्ष्य
खाली कारतूस की बरामदगी हत्या के अपराध के लिए 1693
पर्याप्तता
दण्डादेश की 2136,2196,2220
प्रकृति
आवश्यक अपराध निर्धारण में चोट की..... 2196
अपराध निर्धारण में चोट की 2218
के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त.....1119
हेतुक एवं अपराध की 1513
क्षतियों की 1884
प्रकरण
वाहनों से मृत्यु के 1920
प्रहार
की तीव्रता..... 1861
किया जाय और मृत्यु दूसरे की कारित हो जाय तो हत्या नहीं मानव वध होगा 1860
प्रहार एवं क्षति
की तीव्रता 1572
प्राइवेट प्रतिरक्षा
का अधिकार 2206
प्राङ्न्याय
दाण्डिक कार्यवाही में 1689
प्राणघातक हमले
से पूर्व दिन में अभियुक्त और मृतक के बीच कहा-सुनी.....1752
प्राथमिक साक्ष्य
के आधार पर अभियुक्त को समन पर्याप्त 2220
प्रोत्साहन
के न स्थापित किये जाने का प्रभाव 1385
प्रतिरक्षा अभिवाक्
की ग्राह्यता 1377
प्रतिरक्षा
का अधिकार 1854
प्रतिकूल
अनुमान किया जाना.....1383
प्रतिप्रेक्षण
मामले का.....2135
प्रतिप्रेषित
हत्या मामले का पुनर्विचारण के लिए..... 1384
प्रथम इत्तिला रिपोर्ट
व साक्ष्य अधिनियम.....1271
समुचित रूप से साबित न की जानी प्रभाव..... 1890
द्वारा रिपोर्ट में अभियुक्त की विनिर्दिष्ट भूमिका 1464
में हेतु का उल्लेख न होना.....1464

प्रथम सूचना रिपोर्ट

एवं इन्जरी रिपोर्ट में भिन्नता आरोप को संदिग्ध बना देती है 2094

का अभिखण्डन..... 2199

का मृत्यु समीक्षा किये जाने के पश्चात् दाखिल किया जाना 1746

विलम्ब से.....2035

दर्ज कराने में विलम्ब.....1357

में विलम्ब.....2220

का अभिखण्डन..... 2070

प्रभाव

सहअपराधी की दोषमुक्ति का.....1860

गंभीर क्षति मृत्यु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट समुचित रूप से साबित न की जानी 1890

हत्या एवम् अभियोजन पर चक्षुदर्शी साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य के बीच गौण मतभेद का.....1383

हत्या के मामले पर सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति का 1386

हत्या के मामले में प्रोत्साहन के न स्थापित किये जाने का.....1385

हत्या—हेतु का 1814

प्रत्यक्ष साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य में मामूली फर्क.....1892

चक्षुदर्शी एवं चिकित्सीय साक्ष्य में भिन्नता का.....1818

दहेज का.....1960

दोषमुक्ति का.....1386

बैलेस्टिक विशेषज्ञ को अग्न्यायुध को न भेजने का 1742

मृत्युकालीन अभिकथन महत्व व 1198

प्रत्यक्ष साक्ष्य

और चिकित्सीय साक्ष्य में मामूली फर्क प्रभाव..... 1892

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी

का अभाव.....1491

का साक्ष्य.....1190

के साक्ष्य का मूल्यांकन..... 1374

प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों

के साक्ष्य की विश्वसनीयता.....1376

प्रयाश

हत्या एवं जान से मारने का..... 1294

अन्वेषक अधिकारी को दिए गए कथन और न्यायालय के समक्ष दिए गए कथन में फर्क —साक्ष्य को प्रबल बनाने का.....1814

प्रयोग

हत्या के मामले में लाठियों का 1754

प्रयुक्त

किए गये हथियार 1244

प्रयत्न

आपराधिक मानव वध करने का 2150

आत्महत्या करने का 2153

हत्या एवं हत्या करने का 1817

प्ररूप

आरोप का-धारा 302 के अन्तर्गत 1818

आरोप का-धारा 303 के अन्तर्गत 1824

आरोप का-धारा 304 के अन्तर्गत 1906

आरोप का-धारा304क के अन्तर्गत 1941

प्ररूप—क्रमशः

आरोप का-धारा304ख के अन्तर्गत 2043

आरोप का-धारा 305 के अन्तर्गत 2044

आरोप का-धारा 306 के अन्तर्गत 2074

आरोप का-धारा 307 के अन्तर्गत 2149

आरोप का-धारा 308 के अन्तर्गत 2153

आरोप का-धारा 309 के अन्तर्गत 2155

आरोप का-धारा 311 के अन्तर्गत 2155

आरोप का-धारा 312 के अन्तर्गत 2156

आरोप का-धारा 313 के अन्तर्गत 2158

आरोप का-धारा 314 के अन्तर्गत 2159

आरोप का-धारा 315 के अन्तर्गत 2161

आरोप का-धारा 316 के अन्तर्गत 2162

आरोप का-धारा 317 के अन्तर्गत 2163

आरोप का-धारा 318 के अन्तर्गत 2164

आरोप का-धारा 323 के अन्तर्गत 2190

आरोप का-धारा 324 के अन्तर्गत 2207

आरोप का-धारा 325 के अन्तर्गत 2224

फ

फायर

करके हत्या के प्रयत्न का सबूत.....2134

फायदा

अभियुक्त द्वारा मृतक की बिना किसी प्रकोप और हाथापाई के छुरी घोंप कर हत्या करना धारा 300 के अपवाद 4 का 1464

हत्या—मैखिक और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच विरोधाभास —संदेह का 1817

धारा 300 के अपवाद 4 का 1464

ब

बरामदगी

का महत्व 1385

बलात्संग

एवं हत्या करने का प्रयत्न का सबूत 2142

एवम् हत्या.....1747

के कारण आत्महत्या का किया जाना 2071

बहन और माता

के साथ आत्महत्या करने का विनिश्चय 1896

बालक

का मुक्तिधन के लिए व्यपहरण.....1933

की हत्या और अपनी पत्नी की हत्या का प्रयत्न—सबूत 1465

बालक साक्षी

के साक्ष्य की विश्वसनीयता.....1374,1382

बालिका

द्वारा आत्म हत्या के लिए 2044

बुराईयाँ

दहेज की 2005

बैलेस्टिक विशेषज्ञ

को अग्न्यायुध को न भेजने का प्रभाव 1742

भ

भार

सबूत का..... 1296

भागीदारी

अपराध में..... 2221

भिन्नता

दहेज मृत्यु—मृतक द्वारा दो मृत्युकालिक कथन—दोनों कथनों के मध्य 2039

म

मत्तता

में किए गए कार्य-अपराध कब..... 1666

महत्व

हत्या के मामले में विशेषज्ञ साक्ष्य का..... 1384

हत्या में आयुधों की बरामदगी का.... 1385

मंजूरी

अग्रिम जमानत की 2185

अभियोजन हेतु 2185

जमानत की 2070,2159

मानव

की मृत्यु का द्योतक..... 1257

मानव वध

चोट के कारण घटना के कई दिन बाद मृत्यु हत्या नहीं..... 1858

जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक 1465

मानव वध—क्रमशः

यदि किसी पर प्रहार किया जाय और मृत्यु दूसरे की कारित हो जाय तो हत्या नहीं..... 1860

करने का प्रयत्न सबूत गंभीर और अचानक प्रकोपन 2143

की विशिष्टताओं पर आधारित कतिपय दृष्टान्त..... 1098

कब हत्या है..... 1102

कब हत्या नहीं है 1225

के आवश्यक तत्व 1091

हत्या का आपराधिक 1889

तथा हत्या में अन्तर 1093

मामले

का प्रतिप्रेक्षण..... 2135

घोर उपहति तथा साधारण उपहति के..... 1259

मजिस्ट्रेट

को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब से भेजना..... 1756

'मिताक्षरा स्त्रीधन'

और दायभाग स्त्रीधन में अन्तर..... 1977

मुक्ति धन

के लिए व्यपहरण तथा हत्या का सबूत..... 1385

के लिए व्यपहरण 1933

मूल्यांकन

व्यपहरण एवम् हत्या के मामले में हितबद्ध प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का..... 1374

साक्ष्य का..... 1748

हत्या के मामले में साक्ष्य का 1358

मूल्यांकन—क्रमशः
हत्या के मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य का 1365
हत्या में संयोगी साक्षी के साक्ष्य का 1384

मृतिका
को चोट आत्महत्या के लिए पर्याप्त आधार 2052

'मृत्यु'
मानव की मृत्यु का द्योतक है 1257
का सम्बन्ध विभिन्न क्षतियों से जोड़ा जा सकता है 1212

मृत शरीर
में परिवर्तन 1284
के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना 2163

मृतक
की क्षतियां शरीर के गैर-मर्म भाग पर पाया जाना—शल्य क्रिया के कारण मृत्यु होने की दलील 1751
की पुत्री एवम् भतीजी के साक्ष्य की विश्वसनीयता 1377
के शव का गोपनीय ढंग से निपटारा करके जन्म का छिपाया—दण्डादेश 2164
के पुत्रों का साक्ष्य और संयोगी साक्षी होने की दलील 1464
द्वारा की गई शिकायत में अभियुक्त के नाम उसके द्वारा हमले किए जाने के बारे में बताया गया क्षतियों के कारण मृतक की घटना के 12 घंटे के भीतर मृत्यु हो जाना 1816

मृतक—क्रमशः
पर बंदूक से गोली चलाना अपराध 1817
मृतक और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच अचानक हुई लड़ाई में क्षतियां पहुंचने के कारण हुई 1898

मृतक द्वारा
दो मृत्युकालिक कथन—दोनों कथनों के मध्य भिन्नता 2039

मृत्यु
का कारण 1275
का सबूत 1883
का सम्बन्ध विभिन्न क्षतियों से जोड़ा जा सकता है 1212
कारित करने का आशय आपराधिक मानव वध 1465
कारित करने का आशय नहीं 1889
कारित करने का आशय 1103
की सम्भावना हत्या के प्रयास के लिए पर्याप्त आधार 2077
के प्रकरण 1920
के पश्चात् मृत शरीर में परिवर्तन 1284
गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा 2158
हत्या नहीं मानव वध होगा 1860
दम घुटने से 1273

मृत्यु का द्योतक
'मृत्यु'—मानव की 1257

मृत्यु कारित करना
ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, अजात शिशु की 2161
अजन्मे संतान की 2160

मृत्यु हो जाना
मृतक द्वारा की गई शिकायत में अभियुक्त के नाम उसके द्वारा हमले किए जाने के बारे में बताया गया क्षतियों के कारण मृतक की घटना के 12 घंटे के भीतर 1816

मृत्यु दण्ड
असाधारण परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए 1673
आजीवन कारावास से दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कारित हत्या के अपराध के लिए.....1819
की समीक्षा.....1532
गम्भीर अपराध एवं 1271
मात्र गम्भीर अपराध हेतु.....1869

मृत्युकालीन अभिकथन
महत्व व प्रभाव.....1198
पर कार्यवाही करना.....1292
पर विचार किया जाना.....2073

मृत्युकालीन घोषणा
कब सुसंगत 1656
की विश्वसनीयता.....1815
मृतक द्वारा की गई शिकायत में अभियुक्त के नाम उसके द्वारा हमले किए जाने के बारे में 1816

मृत्युदण्ड
में संविधान का उल्लंघन होता है 1689

मेडकिल जुरिसप्रूडेन्स
गला दबाने से मृत्यु व 1135
जलने से मृत्यु व.....1139

मैखिक और चिकित्सीय साक्ष्य
के बीच विरोधाभास—संदेह का फायदा.....1817

य

योजनाबद्ध हत्या
के लिए कठोरतम शास्ति न्यायोचित है.....1523

र

रक्तरंजित वस्त्रों
को पुलिस द्वारा अभिगृहीत नहीं किया जाना—ऐसी स्थिति में साक्षी का साक्ष्य विश्नसनीय नहीं 1761

रासायनिक परीक्षक
की रिपोर्टए.....2035

राजसाक्षी
की साक्ष्य.....1650

राशि
बतौर प्रतिकर आहत को अदा करना 2199

ल

लड़ाा
भंग करने के आशय से हमला.....2186

लघुकरण
दण्ड का.....1934

लघुकरण कब?
दण्ड का.....1840,2175,2195,2214

लागू होना
धारा 300 के अपवाद 4 का 1363

लाठियों
का प्रयोग 1754

लाभ

संदेह का 1738

परिवीक्षा का 2222

परिस्थितियाँ जिसमें अभियुक्त को सन्देह का..... 2084,2180

लाभ कब?

परिवीक्षा का 2193

लड़ाई

में क्षतियां पहुंचने के कारण हुई 1898

लूट

में पारिस्थितिक साक्ष्य का सबूत.....1384

व

वाहनों

से मृत्यु के प्रकरण.....1920

वाद

दायर करना क्या प्रतिपादन करने योग्य हैं? 1979

व्यक्तिगत उपस्थिति

से अभिमुक्ति..... 2200

व्यक्तिगत कृत्यों

के लिए दोषी होना 1884

व्यक्ति

की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध.....1465

व्यक्तिगत प्रतिरक्षा

का अधिकार.....1525

व्यपहरण

बालक का मुक्तिधन के लिए..... 1933

व्यपहरण एवम् हत्या

के मामले में हितबद्ध प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन..... 1374

का सबूत 1385

विश्वसनीयता

अपराध से संबंधित बरामद वस्तुओं के बरामदगी ज्ञापन पर अभियुक्त का अंगुष्ठ छाप या हस्ताक्षर न लिया जाना.....1816

साक्षी के कथन की 1884

साक्ष्य की.....2034

हत्या के मामले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिये गये साक्ष्य की..... 1374

हत्या के मामले में नातेदार साक्षियों के साक्ष्य की.....1375

हत्या के मामले में मृतक की पुत्री एवम् भतीजी के साक्ष्य की 1377

हत्या में हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य की 1376

हत्या—आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की.....1376

हत्या—साक्षी की 1465

हत्या—पक्षद्रोही साक्षी की.....1816

हत्या—मृत्युकालिक कथन की 1815

विश्वासघात

का सन्देह.....1521

विशेष लक्षण

स्त्रीधन के..... 1978

विशेषज्ञ साक्ष्य

का महत्व 1384

विरचित्र किया जाना
आरोप का.....1546
विलम्ब
से प्रथम सूचना रिपोर्ट.....2035
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में.....1357
प्रथम सूचना रिपोर्ट में.....2220
विवरण एवं कारण
अधिनियम सं0 43 सन् 1986 के उद्देश्य का.....1952
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के उद्देश्य का.....1950
विवाहित महिला
की सम्पदा.....1978
विष
देकर मृत्यु कारित करना.....1375
विष देने
के मामले में चिकित्सीय साक्ष्य का संदिग्ध होना हत्या का.....1868
विस्तार
धारा 300 तीसरा खण्ड का 1254
विचार किया जाना
पुलिस कथन एवं मृत्युकालीन कथन पर..... 2073
विधि-विरुद्ध जमाव
द्वारा हत्या का सबूत 2133
विधिमान्यता
विचारण न्यायालय द्वारा केवल कारागार का.....1814
विनिश्चय
अभियुक्त द्वारा अपने पिता के व्यवहार से तंग आकर अपनी बहन और माता के साथ आत्महत्या करने का 1896
विनिर्दिष्ट भूमिका
हत्या का अपराध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट इत्तिलाकर्ता द्वारा रिपोर्ट में अभियुक्त की.....1464
विभिन्न अर्थ
'स्त्री-धन' के.....1969
विभेद
आपराधिक मानव वध तथा हत्या के बीच 1060

श

श्वासावरोध
मृत्यु का कारण.....1275
शल्य क्रिया
के कारण मृत्यु होने की दलील.....1751
शव
को गायब करना 1375
शत्रुता
हत्या का अपराध हेतु महत्व पूर्व.....1464
शारीरिक क्षति
कारित करने के आशय से जिससे अपराधी जानता हो कि मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है.....1117
शक्ति
आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण.....1671
शर्तों
का पूरा किया जाना 1383
शस्त्र
का समुचित प्रयोग न होना अपराध मानव वध हत्या नहीं 1861

शिशु

का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात् उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य 2160

के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग 2162

या उन्मक्त शक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण.....2044

शिनाख्त परेड

साक्ष्य किया जाना.....1322

स

स्वरूप

उपेक्षापूर्ण कार्य कब? दण्ड का.....1839

स्वतन्त्र साक्षी

कब आवश्यक 1651

स्वेच्छय

उपहति कारित करने का सबूत.....2167

उपहति कारित करना.....2166

उपहति कारित करने का सबूत 2182

उपहति कारित करने के लिए दण्ड.....2168

घोर उपहति कारित करना.....2167

घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड.....2208

स्वयं प्रमाण

एवं सावधानी के मापदण्ड की समीक्षा.....1927

सह-अभियुक्त

की दोषमुक्ति का प्रभाव.....1386

की दोषमुक्ति का न्यायोचित्य 1367

के प्रबोधन पर मृतक पर बंदूक से गोली चलाना अपराध.....1817

सह-अभियुक्तों

की कोई प्रत्यक्ष भूमिका न बताई जानी.....1814

सहअपराधी

की दोषमुक्ति का प्रभाव.....1860

संवैधानिक स्थिति

धारा 303 की.....1818

संस्वीकृति

की ग्राह्यता 1484

संगति आवश्यक

दोषसिद्धि के लिए साक्ष्यों में 2169

संविधान

का उल्लंघन होता है.....1689

संदिग्ध होना

हत्या का निषेध करता है.....1868

संदिग्ध बनाना

प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं इन्जरी रिपोर्ट में भिन्नता आरोप को 2094

संदेह

का लाभ.....1738,2038

संपुष्टि

का अभाव.....2184

संयोगी साक्षी

के साक्ष्य का मूल्यांकन.....1384

होने की दलील 1464

सावधानी

के मापदण्ड की समीक्षा.....1927

साक्षी

का साक्ष्य 1190

की विश्वसनीयता तथा उसके साक्ष्य की सम्पुष्टि 1264

की विश्वसनीयता.....1465

के कथन की विश्वसनीयता.....1884

द्वारा मृतक को कंधे पर रखकर लाने का अभिकथन किया जाना और साक्षी के रक्त-रंजित वस्त्रों को पुलिस द्वारा अभिगृहीत नहीं किया जाना.....1761

साक्ष्य

का मूल्यांकन.....1358

का गायब किया जाना 1321

राजसाक्षी की.....1650

आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के.....1386

आचरण और परिस्थितिजन..... 1185

का अभाव.....2220

को प्रबल बनाने का प्रयास 1814

की सम्पुष्टि 1264

की विश्वसनीयता.....1374,2034

सम्पुष्ट एवं सुसंगत होने चाहिए.....1920

हत्या के प्रयास में घायल साक्षी का.....2138

हत्या—अंतिम बार एक साथ देखे जाने का 1816

घायलदृष्टा साक्षी का 2206

प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का.....1190

में परस्पर विरोधी कथन नहीं..... 2206

का अवलोकन किया जाना.....2222

साक्ष्य अधिनियम

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट व.....1271

साक्ष्य विश्नसनीय नहीं

रक्तरंजित वस्त्रों को पुलिस द्वारा अभिगृहीत नहीं किया जाना —ऐसी स्थिति में साक्षी का.....1761

साक्ष्यों

की परिसम्पुष्टि आवश्यक 1954

में संगति आवश्यक..... 2192

में संगति-विसंगति-परिणाम 1605

साक्षियों के परिसाक्ष्य

तात्विक विशिष्टियों पर एक जैसे हों वहां पर उनके परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय मानकर त्यक्त नहीं किया जा सकता..... 1760

साबित होना

अपराध का..... 2185

साधारण उपहति

के मामले.....1259

सामान्य आशय

अपराध का.....1816

हत्या और उपहति 1816

कब स्थापित.....2115

सामान्य दण्ड 2194

सामान्य अनुक्रम

में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त 1119

सामान्य उद्देश्य

एवं हत्या 1578

सीमागत आपराधिक

कार्य कारित करने की मनःस्थिति —दण्ड का आधार 1865

सूत्र
दण्ड का अवधारण करने के लिए....1746
सदोष परिरोध
एवम् साधारण उपहति....2186
सन्देह
का लाभ....1160
हत्या का हेतुक पत्नी के चरित्र पर....1519
विश्वासघात का....1521
सबूत
लूट एवम् हत्या में पारिस्थितिक साक्ष्य का....1384
आत्महत्या के दुष्प्रेरण का....2074
अभिरक्षा में होने संबंधी मृत्यु का....1883
उपहति कारित करने के अपराध का....2204
का भार....1296
के भार पर उपधारणा....1924
स्वेच्छया उपहति कारित करने का....2167
गृह अतिचार एवं हमला का....2142
हत्या एवं आत्महत्या कारित करने का....2154
हत्या एवं दहेज मृत्यु—का....1403
हत्या करने का प्रयत्न का....2148
हत्या का....1404
हत्या कारित करने का प्रयत्न या स्वेच्छया उपहति कारित करने का....2141
हत्या के हेतु का....1059
हत्या के मामले में घटना स्थल का....1374
सबूत—क्रमशः
विधि-विरुद्ध जमाव द्वारा हत्या का....2133
फायर करके हत्या के प्रयत्न का....2134
बलात्संग एवं हत्या करने का प्रयत्न का....2142
बालक की हत्या और अपनी पत्नी की हत्या का....1465
मुक्ति धन के लिए व्यपहरण तथा हत्या का....1385
समझौते
की अनुज्ञा....2098
समाज
के लिए कैंसर....1948
समानता
के सिद्धांत पर उन्मोचन....2071
समीक्षा
स्वयं प्रमाण एवं सावधानी के मापदण्ड की....1927
दण्ड विधान में मृत्यु दण्ड की....1532
समन पर्याप्त
प्राथमिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को....2220
सम्पत्ति
के प्रति अधिकार....1983
सम्पुष्टि
साक्षी की विश्वसनीयता तथा उसके साक्ष्य की....1264
सम्पदा
विवाहित महिला की....1978
दहेज वधू की....1984

सम्मति के बिना
गर्भपात कारित करना 2157
सिद्धान्त
अंशदायी उपेक्षा का 1932
हत्या के मामले में धारा 34 में निविष्ट अन्यविक दायित्व का.....1217
स्त्री
की अपनी सम्पत्ति के प्रति अधिकार है 1983
की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना.....2157
स्त्रीधन
की प्राप्ति के लिए वाद दायर करना क्या प्रतिपादन करने योग्य हैं? 1979
के विशेष लक्षण.....1978
के विभिन्न अर्थ.....1969
स्थापित
सामान्य आशय कब 2115

ह

हाथापाई
छुरी घोंप कर हत्या करनाा 1464
हथियार
कार्य में प्रयुक्त किए गये 1244
हेतु
का अभाव-प्रभाव 1814
का उल्लेख न होना 1464
का सबूत.....1059
हेतुक
एवं अपराध की प्रकृति 1513
सिद्धि अनापेक्षित.....1129
हमला
एवं आगजनी—दोषमुक्ति.....2141
लज्जा भंग करने के आशय से 2186
का सबूत 2142
हत्या
एवं आत्महत्या कारित करने का सबूत 2154
एवं सामान्य आशय 1469
एवं सामान्य उद्देश्य 1318
एवं हत्या करने का प्रयत्न 1817
एवं जान से मारने का प्रयाश.....1294
एवं विधि विरुद्ध जमाव.....1311
एवम् शव को गायब करना 1375
एवम् आपराधिक षड्यंत्र 1386
एवम् आत्मरक्षा का अभिवचन.....1372
एवम् अभियोजन पर चक्षुदर्शी साक्ष्य तथा चिकित्सीय साक्ष्य के बीच गौण मतभेद का प्रभाव.....1383
एवम् क्रूरता 1365
अंतिम बार एक साथ देखे जाने का साक्ष्य.....1816
अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य.....1403
आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता 1376
आपराधिक मानववध.....1754
आपराधिक मानववध.....1889
आपराधिक मानववध—मृतक पर प्राणघातक हमले से पूर्व दिन में अभियुक्त और मृतक के बीच कहा-सुनी 1752

हत्या—क्रमशः:

और उपहति—सामान आशय 1816

और बलात्कार 1267

अथवा मानववध करने का प्रयत्न सबूत गंभीर और अचानक प्रकोपन 2143

अन्वेषण—अपराध से संबंधित बरामद वस्तुओं के बरामदगी ज्ञापन पर अभियुक्त का अंगुष्ठ छाप या हस्ताक्षर न लिया जाना—विश्वसनीयता 1816

करने का प्रयत्न का सबूत..... 2142

करने का प्रयत्न 2075

करने का प्रयत्न—का सबूत.....2148

करने का प्रयत्न—दण्डादेश.....2207

का अपराधत्त्प्रथम इत्तिला रिपोर्टत्त्इत्तिलाकर्ता द्वारा रिपोर्ट में अभियुक्त की विनिर्दिष्ट भूमिका न बताई गई 1464

का अपराध—हेतु महत्व पूर्व शत्रुता 1464

का सबूत.....1404

का सबूत—परिस्थितिजन साक्ष्य 1758

का हेतुक पत्नी के चरित्र पर सन्देह 1519

का प्रयत्न आवश्यक दंडादेश 2142

कारित करने का प्रयत्न या स्वेच्छया उपहति कारित करने का सबूत..... 2141

की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव-वध किन्तु आशय के साथ..... 1061

हत्या—क्रमशः:

की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड 1824

के अपराध के लिए मृत्यु दण्ड.....1819

के हेतु का सबूत 1059

के प्रयास के लिए चोटों की गम्भीरता आवश्यक 2080

के प्रयास के लिए पर्याप्त आधार.....2077

के प्रयास में घायल साक्षी का साक्ष्य..... 2138

के प्रयास में चोट मार्मिक अंग पर होना आवश्यक.....2090

के प्रयत्न का सबूत 2134

के लिए आशय का होना आवश्यक.....1496

के लिए दो शर्तों का पूरा किया जाना.....1383

के लिए दण्ड 1466

के बीच विभेद 1060

के मामले पर सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति का प्रभाव.....1386

के मामले में आहत प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य की ग्राह्यता.....1386

के मामले में अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिये गये साक्ष्य की विश्वसनीयता 1374

के मामले में अन्यत्र होने का अभिवचन..... 1372

के मामले में सह-अभियुक्त की दोषमुक्ति का न्यायोचित्य 1367

के मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन 1358

के मामले में घटना स्थल का सबूत 1374

हत्या—क्रमशः

के मामले में प्रोत्साहन के न स्थापित किये जाने का प्रभाव 1385

के मामले में प्रतिरक्षा अभिवाक् की ग्राह्यता.....1377

के मामले में प्रतिकूल अनुमान किया जाना 1383

के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट का मृत्यु समीक्षा किये जाने के पश्चात् दाखिल किया जाना 1746

के मामले में विशेषज्ञ साक्ष्य का महत्व.....1384

के मामले में दोषसिद्धि का न्यायोचित्य.....1373

के मामले में दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील.....1368

के मामले में धारा 34 में निविष्ट अन्यविक दायित्व का सिद्धान्त.....1217

के मामले में नातेदार साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता.....1375

के मामले में पागलपन का अभिवचन 1364

के मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य का मूल्यांकन.....1365

के मामले में बालक साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता.....1374

के मामले में बालिका साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता.....1382

के अपराध के लिए पर्याप्त साक्ष्य नही है 1693

साक्षी की विश्वसनीयता.....1465

साक्ष्य का गायब किया जाना 1321

हत्या—क्रमशः

साक्ष्य में सुधार—अन्वेषक अधिकारी को दिए गए कथन और न्यायालय के समक्ष दिए गए कथन में फर्क—साक्ष्य को प्रबल बनाने का प्रयास.....1814

सामान्य आशय—साक्षी सह-अभियुक्तों की कोई प्रत्यक्ष भूमिका न बताई जानी.....1814

गंभीर और अचानक प्रकोपन—पति द्वारा पत्नी को किसी नवयुवक के साथ नशे की हालत में नग्न देखा गया.....1817

हेतु का अभाव—प्रभाव.....1814

क्षतियां—मामले में लाठियों का प्रयोग 1754

चक्षुदर्शी एवं चिकित्सीय साक्ष्य में भिन्नता—का प्रभाव 1818

विष देकर मृत्यु कारित करना.....1375

नातेदार साक्षी—विश्सवनीयता.....1464

न्यायेत्तर संस्वीकृति 1815

पक्षद्रोही साक्षी विश्वसनीयता.....1816

पारिस्थितिक साक्ष्य.....1377

मामले का पुनर्विचारण के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया जाना.....1384

मजिस्ट्रेट को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विलंब से भेजना अभियोजन पक्षकथन पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है 1756

मृतक के पुत्रों का साक्ष्य—नातेदार पक्षपाती, हितबद्ध और संयोगी साक्षी होने की दलील.....1464

मृत्यु दंड.....1814

हत्या—क्रमशः:

मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता.....1815

मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता—पति द्वारा पत्नी को जलाकर उसकी हत्या की गई 1817

मैखिक और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच विरोधाभास—संदेह का फायदा 1817

में आयुधों की बरामदगी का महत्व.....1385

में संयोगी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन.....1384

में हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता.....1376

में पारिस्थितिक साक्ष्य का सबूत 1384

या आपराधिक मानववध 1060

यदि मृतक की मृत्यु मृतक और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच अचानक हुई लड़ाई में क्षतियां पहुंचने के कारण हुई.....1898

के मामले में मृतक की पुत्री एवम् भतीजी के साक्ष्य की विश्वसनीयता.....1377

हत्या एवं दहेज मृत्यु

का सबूत.....1403

हत्या की गई

हत्या मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता—पति द्वारा पत्नी को जलाकर.....1817

हत्या की गई—क्रमशः:

हत्या है

आपराधिक मानववध कब.....1102

हत्या जन्य मामले

में साक्ष्य का मूल्यांकन.....1884

हत्या नहीं

शस्त्र का समुचित प्रयोग न होना 1861

आपराधिक मानव वध 1826

आपराधिक मानववध कब.....1225

हितबद्ध साक्षी

के साक्ष्य की विश्वसनीयता.....1376

क्ष

क्षति

की तीव्रता 1572

जलने के कारण 1261

क्षतियां

हत्या—यदि मृतक की मृत्यु मृतक और अभियुक्त व्यक्तियों के बीच अचानक हुई लड़ाई में 1898

क्षतियों

की प्रकृति.....1884

से जोड़ा जाना.....1212

ज्ञ

ज्ञापन

पर अभियुक्त का अंगुष्ठ छाप या हस्ताक्षर न लिया जाना 1816